

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ

रामुराम बनाम सुलतान आदि

किस्म मुकदमा : 188 RTA

प्रकरण संख्या 1248 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
27.12.2024	<p>यह वादपत्र वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता पेश किया गया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु वकील वादीगण रजिस्टर सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादीगण दिनांक 31.01.2025 को पेश हो।</p> <p>31/12/25</p> <p>27/12/25</p> <p>पत्रावली के दिनांक 31/01/25 को पेश हो।</p> <p>उम्मा बाम... पत्रावली दिनांक 31/01/25 को पेश हो।</p> <p>वकील वादी के विवेदन पर पत्रावली पेश हुई वकील वादी। वादी के विवेदन विषय की यह बात संशोधन के साथ पुनः वाद पेश करना चाहिए ही अतः नया वाद पेश करने की अनुमति के साथ वाद स्वारिण कम्पलेट न्यायहित में वादी का नया वाद पेश करने की अनुमति के साथ स्वारिण विषय जाण ही पत्रावली करिबल दफतर ही।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी नोहर</p>	

